



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

131-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 27, 2026 (BHADRA 5, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 27th August, 2026

No. 20-HLA of 2026/106/14716.— The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 20- HLA of 2026

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act, 2026.
2. For sub-section (7A) of section 11 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, the following sub-section shall be substituted, namely: -

“(7A) For any general meeting of the Gram Sabha, one-tenth of the members of Gram Sabha or three hundred members, whichever is less, shall form a quorum:

Provided that to consider and approve the identified eligible beneficiaries of any Government Scheme or to prepare a Gram Panchayat Development Plan, twenty percent of the members of Gram Sabha shall form the quorum. If at the time fixed for the meeting, there is no quorum, the Sarpanch shall wait for one hour and if within such period of one hour there is no quorum, the Sarpanch shall adjourn the meeting to such time on the following day or such day, as he may decide. The business only, which was to be brought before the scheduled meeting shall be brought and transacted in the adjourned meeting and fifteen percent of the members of Gram Sabha shall form the quorum of such meeting. In case there is no quorum of fifteen percent of the members of Gram Sabha in the adjourned meeting then in the next meeting, the number of members of the Gram Sabha mentioned below shall form the quorum, namely:-

- (a) five hundred members, where the total number of members of the Gram Sabha is ten thousand or more;
- (b) four hundred members, where the total number of members of the Gram Sabha is more than five thousand but less than ten thousand; and
- (c) three hundred members, where the total number of members of the Gram Sabha is five thousand or less.”.

Short title.

Amendment of section 11 of Haryana Act 11 of 1994.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the existing provisions of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, a higher quorum is prescribed for Gram Sabha meetings convened for considering and approving the identified eligible beneficiaries under Government Schemes and for preparing the Gram Panchayat Development Plan, with the objective of ensuring wider participation, transparency and accountability in the decision-making process.

However, it has been observed that the prescribed quorum of forty per cent in the said meeting, thirty per cent in the first adjourned meeting and twenty per cent in the subsequent adjourned meeting is not practicably achievable in many cases. Failure of the meetings to transact the intended business, thereby delaying implementation of Government Schemes.

It is, therefore, proposed to rationalise the quorum requirement by providing for twenty per cent of the total members in the main meeting, fifteen per cent in the first adjourned meeting, and a specified minimum number of members in the second adjourned meeting. The proposed amendment seeks to balance the objective of wider participation and transparency with the practical necessity of ensuring that Gram Sabha meetings are able to transact their intended business effectively and within a reasonable time.

Hence this Bill.

KRISHAN LAL PANWAR,
Development and Panchayats Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 27th August, 2026

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 20 एच.एल.ए.

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आगे
संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 की उप-धारा (7क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 11 का संशोधन।

"(7क) ग्राम सभा के किसी सामान्य अधिवेशन के लिए, ग्राम सभा के सदस्यों का एक बटा दस अथवा तीन सौ सदस्यों, जो भी कम हो, से गणपूर्ति होगी:

परन्तु किसी सरकारी स्कीम के चिन्हित पात्र लाभार्थियों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए अथवा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु, ग्राम सभा के बीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी। यदि अधिवेशन हेतु नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच एक घंटे तक प्रतीक्षा करेगा और यदि एक घंटे की ऐसी अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच, अधिवेशन को आगामी दिन या ऐसे दिन के ऐसे समय तक, जो वह विनिश्चित करे, स्थगित कर देगा। केवल वही कारबार, जिसे अधिसूचित अधिवेशन के समक्ष लाया जाना था, स्थगित अधिवेशन में लाया जाएगा और संव्यवहारित किया जाएगा और ग्राम सभा के पन्द्रह प्रतिशत सदस्यों से ऐसे अधिवेशन की गणपूर्ति होगी। यदि स्थगित अधिवेशन में ग्राम सभा के पन्द्रह प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति नहीं होती है, तो आगामी अधिवेशन में ग्राम सभा के निम्नलिखित सदस्यों से गणपूर्ति होगी, अर्थात्:-

- (क) पाँच सौ सदस्य, जहां ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या दस हजार या से अधिक हो;
- (ख) चार सौ सदस्य, जहां ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या पाँच हजार से अधिक किन्तु दस हजार से कम हो; तथा
- (ग) तीन सौ सदस्य, जहां ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या पाँच हजार या से कम हो।"

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत, सरकारी योजनाओं के लिए चिन्हित पात्र लाभार्थियों पर विचार करने एवं उनका अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम सभा की बैठक में सामान्य बैठक की अपेक्षा अधिक कोरम निर्धारित किया गया है, ताकि अधिकाधिक सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनी रहे।

परन्तु, यह देखा गया है कि इस बैठक में 40 प्रतिशत, प्रथम स्थगित बैठक में 30 प्रतिशत तथा द्वितीय स्थगित बैठक में 20 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का निर्धारित कोरम प्राप्त करना कठिन हो रहा है और अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पा रही है। बैठकों में अपेक्षित कार्यवाही न होने के कारण सरकारी योजनाओं को लागू करने में देरी हो रही है।

इसलिए, कोरम की जरूरत को तर्कसंगत बनाने लिए मुख्य बैठक में कुल सदस्यों का 20 प्रतिशत, प्रथम स्थगित बैठक में 15 प्रतिशत तथा द्वितीय स्थगित बैठक में निर्धारित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति को कोरम के रूप में निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य ग्राम सभा में पर्याप्त जनभागीदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लक्ष्य और इस व्यावहारिक जरूरत के बीच संतुलन बनाना है कि ग्राम सभा की बैठकें अपना तय काम प्रभावी ढंग से और समयबद्ध रूप से कर सकें।

अतः यह विधेयक है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।